

Subject:- Online implementation of TMS scheme for the year 2020-21.

1. Section in which scheme is activate: Crop Demonstration
Scheme Name:- Technology Mission on Sugarcane.
2. Program Name which needs to be activated:
3. Demonstration :-
 - i. Promotion of wide row with intercropping
 - ii. Promotion of wide row spacing method of cultivation
 - iii. Single Bud plantation method
 - iv. Trash Mulching
 - v. Ring pit method of plantation
4. Financial Year:-2020-21
5. Start Date:- 25.09.2020
6. End Date. :- 31.10.2019
7. Total Area allocated :-
 - i. Promotion of wide row with intercropping (in acre)-6000
 - ii. Promotion of wide row spacing method of cultivation (in acre)-21368
 - iii. Single Bud plantation method (acre)- 1000
 - iv. Trash Mulching (acre)-10500
 - v. Ring pit method of plantation (nos.)-50
8. Unit (Area Unit):- 1
9. Total fund allocated (INR):
 - i. Promotion of wide row with intercropping-Rs.216 lakh
 - ii. Promotion of wide row spacing method of cultivation. Rs. 641.04 lakh
 - iii. Single Bud plantation method - Rs.30.00 lakh
 - iv. Trash Mulching -Rs. 31.50 lakh
 - v. Ring pit method of plantation-Rs. 5.00 lakh

10. Assistance :-

- i. Promotion of wide row spacing with intercropping-Rs.3600/-acre
- ii. Promotion of wide row spacing method of cultivation. Rs. 3000/-acre
- iii. Single Bud plantation method - Rs.3000/-acre
- iv. Trash Mulching -Rs. 300/- acre
- v. Ring pit method of plantation-Rs. 10000/- acre

11. Max Area Limit:-2 acre

12. Extent Days (if any optional):-Nil

13. Guidelines (PDF only):-

किसानों हेतु विशेष दिशा-निर्देश:-

1. Promotion of Wide Row with intercropping & Promotion of wide row spacing method of Cultivation विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने तथा बिजाई हेतु प्रयोग में आने वाली मशीन के किराए व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 3600 रुपये प्रति एकड़ तथा 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
2. Single bud plantation method विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने तथा बिजाई हेतु प्रयोग में आने वाली मशीन के किराए व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
3. Trash mulching विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 300 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
4. गढा विधि से बिजाई (Ring Pit Method) के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु बिजाई के समय प्रयोग आने वाली मशीन के किराए, मजदूरी व्यय व कृषि सामग्री की खरीद आदि हेतु किसान को 10000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
5. एक किसान को किसी एक मद (उपरोक्त क्र०स० 1 से 4) के अन्तर्गत अधिकतम दो एकड़ क्षेत्र का प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु सहायता राशि (मशीन किराया/मजदूरी व्यय/कृषि सामग्री हेतु) प्रदान की जाएगी।
6. उपरोक्त सहायता गन्ने की नोटिफाईड/रिकमण्डेड किस्मों की बिजाई पर ही दिया जाएगा।
7. उक्त विधियों से गन्ने की खेती के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु बिजाई के प्रयोग के लिए मशीन किराए, मजदूरी व्यय तथा कृषि सामग्री की खरीद आदि हेतु उक्त मदों के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि की रसीद किसान द्वारा सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) के कार्यालय में जमा कराई जाएगी तथा कृषि

विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा **verification** उपरान्त डी0बी0टी0 के द्वारा सम्बन्धित किसान को उपलब्ध कराई जाएगी। किसान राज्य में सरकारी/अर्धसरकारी/एन0जी0ओ0 तथा CCS HAU, and IFFCO & KRIBHCO या राज्य में किसी भी लाईसैंस धारक/Authorized dealer से कृषि सामग्री चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।

8. योजना "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर लागू की जाएगी।
9. आवेदन स्वीकार्य होने उपरान्त 10 दिन के भीतर सम्बन्धित किसान को कृषि सामग्री की खरीद करनी होगी अन्यथा अगले पात्र किसान को सहायक गन्ना विकास अधिकारी /कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
10. तकनीकी व अन्य जानकारी के लिए अपने कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी से सम्पर्क करें तथा प्रदर्शन-प्लॉट क्षेत्र के सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की देख-रेख में लगाए जायेंगे।
11. प्रदर्शनों के संचालन के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होने चाहिए:-
 - (अ) वह फसल अवशेषों को जलाने का दोषी ना हो।
 - (ब) वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।
12. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रति महिला किसान/33 प्रतिशत लघू एवं सीमान्त किसानों तथा शेष 17 प्रतिशत सामान्य जाति के किसानों के लिए उपलब्ध है।
13. ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31-10-2020 है।
14. Notification (PDF only)
15. Certificate required
(if any Certificate is required from farmer for applying this scheme):-
Aadhar Card, Voter Card, Mobile Number.
16. Activation date with time:-
17. Is there any limit on application coming from farmer side
Yes provide amount or percentage:-

ये विवरण एच0के0सी0एल0 को कृषि तथा किसान कल्याण विभाग , हरियाणा की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर लागू करने हेतु भेजे जाने हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

“कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना (Technology Mission on Sugarcane) के तहत कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में गन्ने की नोटिफाईड/सिफारिश की गई किस्मों को Promotion of Wide Row with intercropping, Promotion of wide row spacing method of Cultivation, Single Bud Plantation, Trash mulching व Ring Pit Method of plantation विधियों से गन्ने की बिजाई करते हुए प्रदर्शन-प्लाट लगाने हेतु सहायक गन्ना विकास अधिकारी, यमुनानगर, नारायणगढ़, शाहाबाद, करनाल, असंध, भादसों, पानीपत, कैथल, रोहतक, सोनीपत, जीन्द, पलवल, भूना, गोहाना व महम के क्षेत्र के किसानों को अनुदान/सहायता राशि दी जानी है। उक्त विधियों से गन्ने की बिजाई के प्रदर्शन-प्लाट लगाने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in में Agri Scheme Governance link पर अपना आवेदन दिनांक 31.10.2020 तक कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक दिशा-निर्देश वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रार्थना पत्र का प्रारूप

(आवेदन करने से पहले विशेष दिशा-निर्देश अवश्य पढ़ लेवें।)

Technology Mission on Sugarcane योजना 2020-21 के तहत Promotion of Wide Row with intercropping, Promotion of wide row spacing method of Cultivation, Single Bud Plantation, Trash mulching व Ring Pit Method विधियों से गन्ने की बिजाई के प्रदर्शन प्लॉट लगाने हेतु अनुदान/सहायता राशि हेतु प्रार्थना पत्र।	
1	किसान का नाम:—
2	पिता/पति का नाम:—
3	माता का नाम:—
4	श्रेणी (सामान्य/पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति):—
5	आधार कार्ड संख्या:—
6	मतदाता पहचान कार्ड संख्या:—
7	पता:— क) गांव:— ख) खण्ड:— ग) तहसील:— घ) जिला:— ड) पिन कोड:— च) मोबाईल नं०:—
8	जमीन का विवरण (कुल रकबा):—
9	गन्ने का बिजाई क्षेत्र (एकड़ में):—
10	किसी एक मद में पात्रता /नियम व शर्तें अनुसार आवेदन करे। 1. Promotion of Wide Row with intercropping(Acre): 2. Promotion of wide row spacing method of Cultivation(Acre): 3. Single Bud Plantation Method(Acre): 4. Trash mulching (Acre): 5. Ring Pit Method (Acre).
11	सह फसल का नाम:—
12	सहायक गन्ना विकास अधिकारी का नाम:—
13	बैंक खाते का विवरण:— (क) बैंक का नाम:— (ख) ब्रांच का नाम:— (ग) खाता संख्या:— (घ) IFSC कोड:—

तिथि:—

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा चिन्ह

किसानों हेतु विशेष दिशा-निर्देश:-

1. Promotion of Wide Row with intercropping & Promotion of wide row spacing method of Cultivation विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने तथा बिजाई हेतु प्रयोग में आने वाली मशीन के किराए व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 3600 रुपये प्रति एकड़ तथा 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
2. Single bud plantation method विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने तथा बिजाई हेतु प्रयोग में आने वाली मशीन के किराए व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
3. Trash mulching विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 300 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
4. गढा विधि से बिजाई (Ring Pit Method) के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु बिजाई के समय प्रयोग आने वाली मशीन के किराए, मजदूरी व्यय व कृषि सामग्री की खरीद आदि हेतु किसान को 10000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
5. एक किसान को किसी एक मद (उपरोक्त क्र०स० 1 से 4) के अन्तर्गत अधिकतम दो एकड़ क्षेत्र का प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु सहायता राशि (मशीन किराया/मजदूरी व्यय/कृषि सामग्री हेतु) प्रदान की जाएगी।
6. उपरोक्त सहायता गन्ने की नोटिफाईड/रिकमण्डेड किस्मों की बिजाई पर ही दिया जाएगा।
7. उक्त विधियों से गन्ने की खेती के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु बिजाई के प्रयोग के लिए मशीन किराए, मजदूरी व्यय तथा कृषि सामग्री की खरीद आदि हेतु उक्त मदों के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि की रसीद किसान द्वारा सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) के कार्यालय में जमा कराई जाएगी तथा कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा verification उपरान्त डी०बी०टी० के द्वारा सम्बन्धित किसान को उपलब्ध कराई जाएगी। किसान राज्य में सरकारी/अर्धसरकारी/एन०जी०ओ० तथा CCS HAU, and IFFCO & KRIBHCO या राज्य में किसी भी लाईसैंस धारक/Authorized dealer से कृषि सामग्री चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।
8. योजना "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर लागू की जाएगी।

9. आवेदन स्वीकार्य होने उपरान्त 10 दिन के भीतर सम्बन्धित किसान को कृषि सामग्री की खरीद करनी होगी अन्यथा अगले पात्र किसान को सहायक गन्ना विकास अधिकारी /कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
10. तकनीकी व अन्य जानकारी के लिए अपने कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी से सम्पर्क करें तथा प्रदर्शन-प्लाट क्षेत्र के सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की देख-रेख में लगाए जाएंगे।
11. प्रदर्शनों के संचालन के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होने चाहिए:-
 - (अ) वह फसल अवशेषों को जलाने का दोषी ना हो।
 - (ब) वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।
12. ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31-10-2020 है। लक्ष्य पुरे न होने पर किसान ऑफलाईन आवेदन करने हेतु अपना प्रार्थना पत्र संबंधित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) /सहायक गन्ना विकास अधिकारी को 30.11.2020 तक जमा करवा सकते हैं।
13. Promotion of Wide Row with intercropping, Promotion of wide row spacing method of Cultivation, Single Bud Plantation Method, Trash mulching and Ring Pit Method मदो के अन्तर्गत लगाए जाने वाले प्रदर्शन प्लाटो के सहायक गन्ना विकास अधिकारी वार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Name of ACDO	Promotion of wide row with intercropping		Promotion of wide row spacing method cultivation		Single bud plantation method		Trash mulching		Ring pit method plantation	
		Phy. (acre)	Fin. (Rs.in lac)	Phy. (acre)	Fin. (Rs.in lac)	Phy. (acre)	Fin. (Rs.in lac)	Phy. (acre)	Fin. (Rs.in lac)	Phy. (acre)	Fin. (Rs.in lac)
1	Panipat	400	14.40	1419	42.57	60	1.80	670	2.01	3	0.30
2	Rohtak	400	14.40	1419	42.57	60	1.80	670	2.01	3	0.30
3	Karnal	400	14.40	1419	42.57	60	1.80	670	2.01	3	0.30
4	Sonipat	400	14.40	1419	42.57	60	1.80	670	2.01	3	0.30
5	Shahabad	400	14.40	1419	42.57	60	1.80	670	2.01	3	0.30
6	Jind	400	14.40	1419	42.57	60	1.80	670	2.01	3	0.30

7	Palwal	200	7.20	400	12.0	25	0.75	300	0.90	2	0.20
8	Meham	400	14.40	1419	42.57	60	1.80	670	2.01	3	0.30
9	Kaithal	400	14.40	1419	42.57	60	1.80	670	2.01	3	0.30
10	Gohana	400	14.40	1419	42.57	60	1.80	670	2.01	3	0.30
11	Assandh	400	14.40	1419	42.57	60	1.80	670	2.01	3	0.30
12	y.nagar	800	28.80	3540	106.20	240	7.20	2000	6.0	10	1.00
13	Bhadson	400	14.40	1419	42.57	60	1.80	670	2.01	3	0.30
14	N.garh	400	14.40	1419	42.57	60	1.80	670	2.01	3	0.30
15	Bhuna	200	7.20	400	12.0	15	0.45	160	0.48	2	0.20
	Total	6000	216	21368	641.04	1000	30	10500	31.5	50	5

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।